फारम सं0-563

क्रम/टिप्प	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

3

अभिलेख उपस्थापित।

मिलन कुमार रजक पिता स्व0 शंकर रजक, निवास स्थान ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफफसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चानो-I, थाना नं0-148, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-35, रकवा-0.09 एकड़ (09 डिसमिल) (नौ डिसमिल) भूमि सीमा कुमारी पति देवेन्द्र कुमार दास, निवास स्थान ग्राम-गौरियाकरमा, पोस्ट-गौरियाकरमा, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledment No.-RCMSON21010881 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-122/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2233/रा0 दिनांक 09.11.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1138 दिनांक 23.07.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत महादेव धोबी हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.73 एकड़ है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.56 एकड़ भूमि है। ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ संख्या-106/III पर दिलचन्द धोबी वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2019-20 तक निर्गत् है। आवेदक के दादा वगै0 के नाम से जमाबंदी ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार आवेदक अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.47 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

प्रश्नगत् **भूमि से संबंधित** वाद संख्या 23/2021 न्यायालय सिविल **जज सिनियर** डिविजन, हजारीबाग में चल रहा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित **भूमि को नारंगी** रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित **भूमि का चौहद्दी** भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को **छोटानागपुर कास्तकारी** अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् **प्रश्नगत् भूमि की** बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

आवेदक मिलन कुमार रजक पिता स्व0 शंकर रजक द्वारा नॉटरी पब्लिक, हजारीबाग के समक्ष निष्पादित शपथ–पत्र संख्या 1780 दिनांक 18.01.2023 समर्पित कर सूचित किया गया है कि बासुदेव राम पिता बैजनाथ राम, ग्राम–हुड़हुडु, पतरातु, "इन्दु विला", राँची–पटना रोड़, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा Civil Judge Senior Division Sub.Judge 1st के न्यायालय में मौजा–चानो, खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–35, कुल रकवा 0.56 एकड़ भूमि के संबंध में स्वत्व वाद संख्या 23/2021 दायर किया गया था। वादी द्वारा उक्त न्यायालय में वाद की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाने के इच्छा से बिना शर्त वाद को वापस लेने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 09.12.2022 को वाद खारिज किया गया। शपथ–पत्र के साथ आवेदक के आधार, वार्ड पार्षद वार्ड नं0–10, नगर निगम, हजारीबाग द्वारा हस्ताक्षरित वंशावली एवं स्वत्व वाद संख्या 23/21 के सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा एवं आवेदक द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आलोक में मिलन कुमार रजक पिता स्व0 शंकर रजक, निवास स्थान ग्राम–लाखे, पोस्ट–कोर्रा, थाना–मुफ्फसिल, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–चानो–I, थाना नं0–148, खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–35, रकवा–0.09 एकड़ (09 डिसमिल) (नौ डिसमिल) भूमि सीमा कुमारी पति देवेन्द्र कुमार दास, निवास स्थान ग्राम–गौरियाकरमा, पोस्ट–गौरियाकरमा, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.02.08 17:26:46 +05:30
Location: 192.168.0.118

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।